जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 32/2014 अनवानी सरपंच ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर बनाम 1—जैलासिंह पुत्र बघेरासिंह जाति मजहबी सिख निवासी हाथियांवाली तहसील सादुलशहर 2—ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वरलाल 3—महेन्द्रसिंह पुत्र जसवंतसिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4.08.2015

प्रार्थी के अभिभाषक श्री जितेन्द्र पराशर उपस्थित है। अप्रार्थी जैलासिंह के अभिभाषक श्री पी.एस. बराड उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र सरपंच ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर की ओर से प्रस्तुत कर तहसीलदार, सादुलशहर के न्यायालय में लंबित प्रकरण संख्या 2/2001 जैलासिंह बनाम ओमप्रकाश आदि अन्तर्गत धारा 183(बी) आरटीए में न्याय न मिलने की संभावना लेकर प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला पंचायत समिति सादुलशहर की वर्तमान सरपंच श्रीमति कुलदीप कौर द्वारा दिनांक 23.06.2015 का प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की गयी है कि जैलासिंह द्वारा ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला के विरूद्ध तहसीलदार, सादुलशहर के समक्ष धारा 183बी का प्रकरण पेश किया हुआ है। ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच श्री परमेन्द्र खीचड़ द्वारा उक्त प्रकरण तहसीलदार, सादुलशहर से अन्यत्र ट्रान्सफर करने के लिए मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसे अब ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला आगे चलाना नही चाहती है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जावे।

चूंकि प्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला इस मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को आगे चलाना नही चाहती है। अतः प्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.08.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर